

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)/एपीओ/ अलेसे-III/ 1992 दिनांक :- 27/12/24

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए वेतन आहरण की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र.सं	लिंक नं.	नाम/पदनाम	अवधि	विभाग/कार्यालय जहां से वेतन भुगतान किया जाना है
1	2	3	4	5
1	10861	जितेन्द्र कुमार सैनी	10.10.2023 से 07.12.2023 (राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 की आर्दश चुनाव आचार संहिता अवधि)	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा नवलगढ।

उक्त आदेश निदेशक महोदय से अनुमोदित हैं।

(के.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)

दिनांक :- 27/12/24

क्रमांक:-एफ.4(ई)/एपीओ/ अलेसे-III/ 1992

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, नवलगढ को प्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर वेतन भुगतान की व्यवस्था करावें।
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विधि विभाग, भीलवाड़ा को प्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण-पत्र एवं सेवा पुस्तिका उनके सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित विभाग/कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
- निजी सचिव, निदेशक।
- जितेन्द्र कुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा नवलगढ।
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)